

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 66/2022

| प्रार्थीगण | वनाम | अप्रार्थीगण |
|---|------|---|
| 1 नरपतराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल, पंचायत समिति-मुण्डवा, जिला नागौर। | | 1 तीजादेवी पत्नी हरेन्द्र जाट पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल, जिला नागौर। |
| 2 पांची देवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल जिला नागौर। | | 2 शाखा प्रबंधक कैनरा बैंक द्वितीय, शाखा-विजय वल्लभ चौक, नागौर। |
| | | 3 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति मुण्डवा। |

उपस्थिति-

- 1 श्री सुमित मुण्डेल अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से
- 2 श्री हरदेव राम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
- 3 श्री गोविन्द प्रकाश सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

1- प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 43 के पट्टा संख्या 033, जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.12.22 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 12.12.22 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री हरदेव राम अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री गोविन्द प्रकाश सोनी, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 दिनांक 02.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित हुए तत्पश्चात न्यायालय में गैर हाजिर रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 11, 12, 002, 23 व 33 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत डिडिया, पंचायत समिति मुण्डवा के पत्र की फोटोप्रति, नरपतराम व पांचीदेवी के आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत डिडिया कलां के पत्र-2 दिनांक 23.08.24 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने केनरा बैंक के लोन स्टेटमेंट की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2023 द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत डिडियाकलां में उपलब्ध होना नहीं बताया।

2- उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि -

2(1)- ग्राम नरादणा, ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति मुण्डवा की आबादी क्षेत्र में एक रहवासी मकान पट्टा सुद स्वामित्व का पट्टा संख्या 12 बुक संख्या 38 का दिनांक 01.08.2017 को प्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया, जो ग्राम पंचायत डिडिया कलां के संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.2017 को जारी ग्राम पंचायत द्वारा किया हुआ है। उक्त पट्टा में वर्णित भूमि के पडौस निम्न है- उत्तर दिशा में मंगलाराम का मकान, दक्षिण दिशा में ओमप्रकाश का मकान, पूर्व दिशा में रतनाराम का मकान तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व निकाल है। उपरोक्त पडौस के बीच की निम्न माप की भूमि का पट्टा प्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी हुआ, उत्तर दिशा 81 फुट, दक्षिण दिशा 81 फुट, पूर्व दिशा में 25 फुट व पश्चिम में 25 फुट लम्बाई माप का है जिसका कुल क्षेत्रफल 225 वर्गगज है। जो पट्टा उप पंजीयक जायल में रजिस्टर्ड भी है। उक्त भूमि के माप में प्रार्थी ने मकान निर्माण करवाकर रहवास भी शुरू कर रखा, जिसमें किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 के सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व की निहित हो गयी। इसी तरह प्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट निवासी नरादणा के नाम पट्टा संख्या 11 बुक संख्या 38 का संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को ग्राम पंचायत डिडिया कलां पंचायत समिति मुण्डवा पट्टा जारी किया गया जो आवासीय भूमि का पट्टा रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक कार्यालय जायल में रजिस्टर्ड किया गया। जिसके पडौस निम्न है- उत्तर दिशा में आम गुवाड, दक्षिण दिशा में नरपतराम का मकान, पूर्व दिशा में रतनाराम का

08/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता व निकाल है। उक्त पट्टे का माप 81 X 25 से कुल 225 वर्गगज क्षेत्रफल है। प्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा संख्या 12 व प्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम के नाम पट्टा संख्या 11 दोनो चिपते ही भू भाग के हैं जिससे उक्त दोनों पट्टों के भू भाग पर दो रहवासी मकान अलग अलग आबादी क्षेत्र ग्राम नरादना में स्थित होने से उक्त दोनों पट्टों के भू भाग में अन्य किसी का हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं रहा है।

2(2)-अप्रार्थी संख्या 1 के पति स्वर्गीय हरेन्द्र जाट ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर व नाजायज सांठ-गांठ कर प्रार्थी के पट्टा सुद स्वामित्व के भूभाग ग्राम डिडिया कलां की आबादी भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पति के नाम पट्टा सुद भू-भाग का होते हुए पुनः पट्टा बनाने का आवेदन पत्र हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम ने प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के सगे भाई प्रार्थी संख्या 1 व अपार्थी संख्या 2 के पति के नाम पट्टा संख्या 12 एवं 11 जारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 3 से दुरभिसंधि कर तथा हरेन्द्र के बदचलन की प्रवृत्ति से फिजूलखर्ची के शौक से प्रार्थीगण की भूमि पर बने मकानों को खुरद-बुर्द करने की गर्ज से विवादित पट्टा संख्या 12 बुक संख्या 38 संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में जारी पट्टा दिनांक 01.08.2017 तथा पडौस में ही उत्तर दिशा में प्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी दिनांक 01.08.2017 का रजिस्टर्ड दिनांक 18.01.2018 को सम्मिलित भू भाग का पुनः नया पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र ने अपने नाम पट्टा संख्या 033 बुक संख्या 43 संकल्प संख्या 01 दिनांक 27.06.2018 की अनुपालना में पट्टा दिनांक 26.01.19 को जारी करवाकर रजिस्टर्ड दिनांक 11.07.19 को करवाया गया। जिसके वर्णित पडौस ही पूर्व पट्टा में दर्ज है। मगर माप का कुछ अन्तर दर्ज कर दिया गया एवं फर्जी व कूटरचित पट्टा जारी कर लिया जो पट्टा संख्या 033 में उत्तर में 52.10 फुट, दक्षिण में 52.10 फुट, पूर्व में 87.9 फुट व पश्चिम में 87.9 फुट से क्षेत्रफल 515.092 वर्गगज एवं 4635.832 वर्ग फुट दर्ज है जो पट्टा पूर्णतः कूटरचित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम कूटरचित व फर्जी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत डिडिया कलां के जारी पट्टा संख्या 11 के स्वामी मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाट निवासी ग्राम नरादणा का देहान्त भी हो चुका है, जिनके वारिस श्रीमति पांची देवी व पुत्र प्रार्थी नरपतराम द्वारा अवैध पट्टे हरेन्द्र जाट के नाम को चुनौति निम्न आधार पर दी जा रही है। जो जानकारी होने पर नकलें प्राप्त कर यह अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत है।

2(3)- ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पंचायत राज संस्था के द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को पट्टा संख्या 12 जारी हो रखा था, इसी तरह संकल्प संख्या 01 दिनांक 18.05.17 की अनुपालना में दिनांक 01.08.17 को पट्टे जारी होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 3 ने विधि विरुद्ध रूप से फर्जी व कूट रचित दस्तावेज पुनः उसी भूमि का माप में अन्तर दर्शाकर पट्टा संख्या 033 बुक संख्या 43 के भू भाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी करने में पंचायती राज संस्था द्वारा या उसकी स्थायी समिति अथवा उप समिति ने अभिलेख में कूटरचित कर आदेशित पट्टा संख्या 033 जारी करने के विधिविरुद्ध पारित किया है, जो अवैध होने से काबिल निरस्त किये जाने के है, जिससे पट्टा संख्या 033 खारिज किये जाने के है।

2(4)-प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में उक्त पट्टा संख्या 033 जो हरेन्द्र जाट पुत्र मंगलाराम के नाम होने की मिसल एवं पट्टा की नकलों की मांग की तब ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डिडिया कलां एवं सरपंच ने ग्राम पंचायत डिडिया कलां के कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना लिखकर दे दिया, जिससे भी ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम नरादणा की आबादी भूमि में पट्टा संख्या 033 कूटरचित व फर्जी है, जिससे उक्त दोनों पट्टे प्रार्थी के पूर्व पट्टा संख्या 12 बुक संख्या 38 व पट्टा संख्या 11 बुक नम्बर 38 की भूमि के होने से पट्टा संख्या 033 काबिल खारिज किये जाने योग्य है।

2(5)- अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में पट्टा संख्या 03 को अप्रार्थी संख्या 2 के रहन कर ऋण ले लिया एवं फिजूलखर्ची व असामाजिक गतिविधियों में रुपये खर्च कर प्रार्थी के पट्टा सुद भू भाग को खुरद-बुर्द करने व नीलाम कराने की योजना से फर्जी कार्यवाही की, तथा फर्जी पट्टाधारी हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम का देहान्त दिनांक 16.12.21 को हो जाने पर उक्त बैंक अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थीगण के रहवासी मकानों को कुर्क करने की कार्यवाही कर दी जो अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी पट्टा संख्या 033 शुरु से ही फर्जी व कूटरचित होने से शून्य व निष्प्रभावी रहे, जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 की कार्यवाही भी विधिविरुद्ध व निष्प्रभावी है। इसलिए भी अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीगण के पट्टा संख्या 12 व पट्टा संख्या 11 ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम नरादणा के प्रार्थीगण के रहवासी मकानों में हस्तक्षेप करने व दखल व कुर्की आदि करने व कराने से रोका जाना न्यायसंगत है।

08/9/-
अपर कंसक्टर, नागौर

2(6)-पट्टा संख्या 033 दिनांक 27.06.2018 की अनुपालना में दिनांक 26.01.19 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा अवैध व विधि विरुद्ध व अनियमितता का है जबकि प्रार्थीगण के नाम के जारी हो रखे पट्टों की भूमि पर पुनः नये पट्टे जारी करने की पंचायत राज संस्था ने अनियमितता की है। उसी भूमि व पडौस बीच के मकान के पट्टा संख्या 12 प्रार्थी नरपतराम के नाम दिनांक 01.08.17 को पट्टा संख्या 11 प्रार्थी के पिता मंगलाराम के नाम दिनांक 01.08.17 को जारी हो रखे थे, जिसके पुनः उसी भूमि के मकानों के पट्टे अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत डिडिया कलां ने ग्राम नरादणा की आबादी भूमि के पट्टा जारी करने में भारी अनियमितता की है। अपने पूर्व के रिकॉर्ड का भी अवलोकन नहीं किया गया, ना ही प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पति मंगलाराम का कोई लिखित में सूचना नहीं दी गयी थी। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र ने अप्रार्थी संख्या 3 से मिलावट कर चुपचाप फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत संस्था ने ग्राम पंचायत अभिलेख में कूटरचना कर विनिश्चय कर लिया जो सर्वप्रथम अवैध व विधिविरुद्ध होने से खारिज किये जाने के है। इसलिए पट्टा संख्या 033 काबिल खारिज किये जाने है।

3- अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि-

3(1)-प्रार्थीगण द्वारा निगरानी में विवादित भूमि का पट्टा संख्या 12 नगरपतराम के नाम होना बताया प्रथमतः प्रार्थी द्वारा पेश पट्टा संख्या 12 भी गलत व फर्जी है, क्योंकि प्रार्थी के पट्टे कि पत्रावली न्यायालय के समक्ष मंगवायी जाने का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी ने दिया था जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया अगर प्रार्थी का पट्टा सत्य होता तो प्रार्थी का उक्त पट्टे की पत्रावली स्वयं पेश कर देता परंतु पट्टा नम्बर 12 की पत्रावली भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है क्योंकि पट्टा संख्या 12 भी विधिक रूप से निष्पादित नहीं है।

3(2)-स्वर्गीय हरेन्द्र जाट ने विधिक रूप से प्रक्रिया का पालन करते हुवे पट्टा नम्बर 33 अपने हक में जारी करवाया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी भी उप पंजियक जायल द्वारा भी जारी की गई है मगर प्रार्थी का पट्टा फर्जी व कुटरचित है जो बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण से बचाव हेतु ये निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है, तथा हरेन्द्र के नाम जो पट्टा जारी किया गया उसकी जानकारी 2019 में ही थी, इसलिए अब 2022 में निगरानी पेश किया जाना मयाद बाहर है।

3(3)-स्वर्गीय हरेन्द्र को जो पट्टा जारी किया गया उस पर ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच दोनों के हस्ताक्षर है इसलिए इनके द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व हरेन्द्र का मौके पर कब्जा पाया जाने से ही पट्टा जारी किया।

3(4)-ग्राम विकास अधिकारी डिडियाकलां द्वारा पट्टा संख्या 33 का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना लिखकर दे दिया मात्र रिकॉर्ड नहीं मिलने से ही पट्टा फर्जी नहीं हो जाता है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उप पंजियक द्वारा पंजीकृत पट्टा असल उपलब्ध है तथा व अप्रार्थी संख्या 2 के यहा ऋण के बदले में रहन रखा हुआ है, तथा विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार दिवानी न्यायालय को प्राप्त है इसके अतिरिक्त किसी न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को रद्द करने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रार्थी द्वारा इस निगरानी में जगह जगह पट्टा रद्द करने की मांगी की है जो विधि के अनुसार नहीं होने से यह निगरानी काबिल खारिज के है।

3(5)-पट्टा धारी हरेन्द्र जो प्रार्थी संख्या 1 का भाई तथा प्रार्थी संख्या 2 का पुत्र था जिसकी मृत्यु दुर्घटना से हो जाने पर बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण से बचने एवं उसके मकान के कब्जा करने की नियत से पट्टा संख्या 33 को कुटरचित बता रहे है जबकि पट्टा संख्या 11 व 12 फर्जी है जो प्रार्थीगण ने बाले बाले प्राप्त किये है।

3(6)-पट्टा संख्या 33 के बारे में मात्र इतना लिख देना की अवैध व विरुद्ध है इसे पट्टा फर्जी नहीं हो जाता पट्टा जारी करने से पूर्व प्रक्रिया अपना जाती है, उसके पश्चात ही पट्टा जारी होता है।

3(7)-पट्टा संख्या 33 का रिकॉर्ड नहीं होने का हवाला देकर खारिज करवाना चाहता है जो उसकी हरेन्द्र की सम्पति के प्रति दुरभावना को प्रकट करता है इतने ही उनके तथाकथित पट्टे नम्बर 11 व 12 वेध होते तो उनकी पत्रावलियां स्वयं पेश करके अपना पक्ष रखते परन्तु उन्होने भी अपने पट्टों की पत्रावलियां पेश न कर न्यायालय से तथ्यों को छुपाया है।

3(8)-यहां पर प्रार्थी को बैंक से लोन के बाबत बोलने का कतई अधिकार नहीं है क्योंकि हरेन्द्र की मौत दुर्घटना में हुआ था जिसका क्लेम प्रार्थीगण ने प्राप्त कर डाइजेस्ट कर लिया अब हरेन्द्र द्वारा प्राप्त ऋण को नहीं चुकाने हेतु मनगढत तथ्यों के आधार पर यह निगरानी पेश की है।

3(9)-प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या 33 को जगह जगह फर्जी होना अंकित किया है उक्त पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में विधि के कौनसे नियम व प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं है इसलिए मात्र जगह जगह पट्टा फर्जी लिख देने मात्र से पट्टा फर्जी नहीं हो जाता है, तथा इस प्रकरण में

08/01/20

• हरेन्द्र जाट के नाम से जो पट्टा संख्या 33 जारी हुआ है उक्त पट्टा की जगह को हरेन्द्र जाट ने अप्रार्थी केनरा बैंक के यहा से लोन लेकर भारित किया हुआ है, तथा दिनांक 28.09.2023 तब उक्त ऋण में रूपये 2356234.86 ब्याज सहित बकाया चल रहे हैं, तथा बैंक की उक्त ऋण राशि पब्लिक मनी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 उक्त बकाया राशि प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने पर उक्त ऋण से बचाव हेतु दुर्भिसंधि करके यह निगरानी पेश की है जो काबिल निरस्त के है।

3(10)—उक्त निगरानी में प्रार्थीगण पट्टा संख्या 33 कि अचल सम्पत्ति को अपनी होना क्लेम कर रहे, जो सर्वथा मिथ्या एवं कपोल कल्पित कथन है। क्योंकि प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम जो हरेन्द्र जाट का सगा भाई है, तथा उक्त पट्टा संख्या 33 की अचल सम्पत्ति को जब हरेन्द्र जाट ने प्रोपर्टी मोरगेज लोन के अगेन्सट में भारित किया था ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 1 को इस बात कि भली भांति जानकारी थी कि पट्टा संख्या 33 जो हरेन्द्रजाट के नाम से बना हुआ था उक्त अचल सम्पत्ति का एक मात्र स्वामि एवं अधिभोगी हरेन्द्र जाट है तथा हरेन्द्र जाट द्वारा उक्त पट्टा नम्बर 33 की अचल सम्पत्ति को अप्रार्थी संख्या 2 यहां किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी संख्या 1 नरपतराम के यहां पट्टा संख्या 33 की अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को लेकर अब कोई अन्य कथन करने से विबंधित है।


3(11)—पट्टा संख्या 33 विधिवत रूप से निष्पादित होकर हरेन्द्र के नाम पंजियन हुआ था पंजियन होने के पश्चात ऐसे पट्टे को धारा 97 पंजीयती राज अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी करके चुनौति नहीं दी जा सकती पंजीबद्ध विलेख को निरस्त करने का न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है।

3(12)—उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा षडयंत्र रचकर आपस में दुरभिसंधी कर रखी है ताकि पट्टा संख्या 2 कि भारित अचल सम्पत्ति से ऋण कि वसूली अप्रार्थी संख्या 2 नहीं कर सके इसके लिये इस प्रकार से गलत रूप से निगरानी पेश की है, इससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीगण स्वच्छ दामन से न्यायालय हाजा के समक्ष नहीं आये है तथा न्यायालय हाजा को हर स्टेज पर गुमराह कर रहे है।

4- पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 43 के पट्टा संख्या 033, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व में ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा पट्टा संख्या 11 दिनांक 01.08.17 को प्रार्थी संख्या 01 के पिता मंगलाराम तथा पट्टा संख्या 12 दिनांक 01.08.17 को प्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी किया हुआ था, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा पुनः उसी जायगा का अप्रार्थी संख्या 01 के पति हरेन्द्र के नाम पट्टा संख्या 002 जारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत को किसी भी जायगा का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी जायगा का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5- उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति, मुण्डवा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पति हरेन्द्र के नाम जारी बुक संख्या 43 के पट्टा संख्या 033 के संबंध में उपरोक्त ऑब्जरवेशन को ध्यान में रखते हुए मौके की स्थिति रिकार्ड पर लेवे तथा दोनो पक्षों को सुनवाई, सबूत आदि का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

6- निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर